विविध **बैंक प्रकरण संख्या 104/2019(GCMS : 2019/00187) आवास फाईनेंसर्स लि.** पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकव्यर मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल ऐरिया जयपुर व शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2, द्वितीय तल, शक्ति मार्ग, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी भगत सिंह **बनाम 1. तरसेम सिह** पुत्र श्री सुरजीत सिंह **2. अमरजीत कौर** पत्नी हजूर सिह निवासी 156, 3 एस टी आर तहसील घडसाल जिला श्रीगंगानगर **3. हरीराम सनारिया** पुत्र भगत राम निवासी निवासी 511 के 11, 3 एसटीआर तहसील घड़साला जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री एस.पी. भादू, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण ऋणियों तरसेम सिंह, अमरजीत कौर एवं हरीराम द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी तरसेम सिंह द्वारा द्वारा बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान (50 गुणा 61.5 फुट निर्मित) स्थित 3 एसटीआर, नई मण्डी घड़साना, का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.08.2019 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब इस प्रकरण में अप्रार्थी ने ऋण राशि जमा करवा दी है इसलिए अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 30.08.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेन्र्स लि. के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण तरसेम सिंह, अमरजीत कौर एवं हरीराम के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान (50 गुणा 61.5 फुट निर्मित) स्थित 3 एसटीआर, नई मण्डी घड़साना, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि ऋणी ने बैंक की बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण में किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं का अंकन भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम पर किया है। इसलिए यदि इसी आधार पर प्रकरण को खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 30.08.2019 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर